

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना--800001

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 16573/2018 में दि. 21.08.2018 एवं CWJC No. 16675/2018 में दिनांक 21.08.2018 को पारित अन्तरिम आदेश के आलोक में कुल 24 (चौबीस) याचिकाकर्ता जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2016 एवं 06/2016 (राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता के नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु) में आवेदन दिया था, को औपबंधिक रूप से अर्हित घोषित करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। विस्तृत विवरण आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित है। उपर्युक्त आवेदकों की उम्मीदवारी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।

उपर्युक्त उम्मीदवार आयोग के वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।